न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2023 / 274
मुकदमा नम्बर 51 / 2023 दायर दिनांक–30.05.2023

1. महेन्द्र पुत्र जयराम
2. राजेन्द्र पुत्र जयराम समस्त जाति जाट निवासी भोपतपुरा, परसरामपुरा,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

– प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गणपत
2. नितिन पुत्र सांवरमल
3. पूजा पुत्री सांवरमल
4. बरजी देवी पत्नी गुलाबराम
5. बुलकेश पुत्री गोपाल
6. मन्जू पुत्री गोपाल
7. मनफुल पुत्र हणमान
8. रोशनी देवी पत्नी सांवरमल
9. शारदा पत्नी गोपाल
10. संतोष देवी पत्नी बनवारीलाल
11. सुनिता पुत्री गोपाल
12. सुनिल पुत्र गोपाल
13. सुभाष पुत्र हणमान
14. सुमन पुत्री गोपाल समस्त जाति जाट निवासीगण भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
15. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा धमोरा
16. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

–अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : – श्री सज्जन चाहर
अनावेदक सं. 5,6,9,11,12,14, – श्री नेमीचन्द डूडी
अनावेदक सं. 1 लगा. 4,7,8,10,13,15,– एक पक्षीय
अनावेदक सं. 16 – पैरो. राज.

<u>प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

:: **आदेश** :: दिनांक – 09-01-2025

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 75 पुराना 65 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 2461 रकबा 1.39 है0 जो आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है में आने जाने के लिये इसी ग्राम की भूमि खाता सं. नया 51 पुराना 45 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 2444 रकबा 0.76 है0 जो अनावेदकगणों की खातेदारी की है मे से 150 फीट लम्बा व 15 फीट चौडा रास्ता संलग्न नजरी नक्शे अनुसार बिन्दू ए से बी तक दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 1 लगा. 4,7,8,10,13,15, बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 5,6,9,11,12,14, की और से वकील श्री नेमीचन्द डूडी उपस्थित हो जवाब निम्न प्रकार से पेश कियाः–

आवेदकगण के पास आने जाने के लिये रास्ता नही है। उन्हे भूमि खसरा नं. 2461 रकबा 1.39 है0 में से रास्ता देने के लिये तैयार है। रास्ता दिये जाने मे कोई एतराज नही है, उक्त रास्ता की लिखावट दिनांक 02.08.1989 को स्टाम्प पेपर पर की हुई है व इसी अनुसार मौके पर आवेदकगण का रास्ता चालू है तथा रास्ते के बदले जमीन दी हुई है। रास्ते के बदले भूमि का आदेश किया जाना न्यायोचित है।

अनावेदक सं. 16 की और से पैरो.राज. उपस्थित हो,तहसीलदार नवलगढ की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/85 दिनांक 21.02.2024 पेश की गई। जिसके अनुसार ख.नं. 2461 में आने जाने के लिये ख.नं. 2444 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे (18 मीटर छोडकर) रास्ता दिया जाना उचित है। जिसकी लम्बाई 30 मीटर तथा चौडाई 4 मीटर होने से कुल क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर रास्ते के लिये बनता है। ख.नं. 2444 की पश्चिमी सीमा पर उॅचा टीला होने के कारण सीमा से 18 मीटर छोडकर रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

बहस वकील उभय पक्ष पेश करने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रकरण मुख्यरूप से आपसी सहमति का होने तथा रास्ते मे जाने वाली भूमि के बदले रास्ते से प्रभावित भूमि खसरा नं. 2444 के खातेदारों को भूमि समायोजित की जाने की शर्त पर उक्त प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

लिहाजा उक्त प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 75 पुराना 65 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 2461 रकबा 1.39 है0 जो आवेदक की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है में आने जाने के लिये इसी ग्राम की भूमि खाता सं. नया 51

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनू)

पुराना 45 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 2444 रकबा 0.76 है0 जो अनावेदकगणों की खातेदारी की है मे से मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/85 दिनांक 21.02.2024 अनुसार पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे (सीमा से 18 मीटर छोडकर) रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार लम्बाई 30 मीटर चौडाई 4मीटर, बिन्दू ए से बी तक, कुल 120 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का रास्ता गै.मु. सिवायचक दर्ज किये जाने तथा उसके बदले में खसरा नं. 2444 को 120 वर्ग मीटर भूमि खसरा नं. 2461 से कम करके समायोजित करदी जावे व तद्नुसार खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/85 दिनांक 21.02.2024 मय नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगी।

तहसीलदार नवलगढ, मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे आवश्यक दुरूस्ती,समायोजन व अमलदरामद कर मौके पर पालना करवाना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक ...09-01-2025...को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़